

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व: चुनौतियाँ, संभावनाएँ और समाधान

डॉ. बृजेश स्वरूप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा।

Email Id: bssonker79@gmail.com

सारांश (Abstract)

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व केवल प्रतिनिधित्व या संख्या की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह लोकतंत्र की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और लिंग समानता की वास्तविक कसौटी है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से महिलाओं को समानता और समान अवसर का अधिकार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1993) के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएँ पंचायती संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं।

फिर भी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में स्थिति उत्साहजनक नहीं है। 17वीं लोकसभा (2019) में महिलाओं की संख्या 78 रही, जो कुल सदस्यों का मात्र 14.3 प्रतिशत है। राज्य विधानसभाओं में औसतन 9 प्रतिशत महिलाएँ ही सदस्य हैं। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि जनसंख्या में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं को राजनीति में अब भी समान अवसर नहीं मिला है। इसके पीछे अनेक चुनौतियाँ हैं पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधनों की कमी, चुनावी प्रक्रिया की जटिलता, राजनीतिक दलों की टिकट वितरण नीति, तथा राजनीति में असुरक्षा और नकारात्मक प्रचार जैसी समस्याएँ।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व की वर्तमान स्थिति, उससे जुड़ी चुनौतियों, उपलब्ध अवसरों तथा संभावित समाधानों का सम्यक् विश्लेषण करना है। अध्ययन के अंतर्गत आँकड़ों, विद्वानों के विचारों, सरकारी रिपोर्टों तथा पूर्ववर्ती शोध कार्यों का संदर्भ लिया गया है। शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि महिला नेतृत्व लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता को सुदृढ़ करता है। अतः यदि महिलाओं को राजनीतिक दलों से पर्याप्त टिकट, चुनावी खर्च हेतु आर्थिक सहयोग, और सुरक्षित-सम्मानजनक वातावरण प्रदान किया जाए तो वे राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना केवल लैंगिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है।

प्रमुख शब्द (Keywords): महिला नेतृत्व, भारतीय राजनीति, आरक्षण, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता।

परिचय (Introduction)

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका और योगदान ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक संरचना में बंधा रहा है, जहाँ महिलाओं को राजनीति और सार्वजनिक जीवन से प्रायः दूर रखा जाता था। इसके बावजूद महिलाओं ने न केवल सामाजिक आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, ने कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। कस्तूरबा गाँधी ने महात्मा गांधी के साथ-साथ सामाजिक सुधार और आंदोलनों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इसी प्रकार, सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक उदाहरण बनीं, जब वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश, 1963) बनीं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि महिलाओं ने राजनीति में केवल 'सहयोगी' के रूप में नहीं, बल्कि 'निर्णायक नेतृत्व' के रूप में भी कार्य किया।

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गाँधी का नाम सबसे प्रमुख है। वे न केवल भारत की पहली बल्कि अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। 1966 से 1977 और पुनः 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया। उन्हें "आयरन लेडी ऑफ़ इंडिया" कहा गया। उनके नेतृत्व में 1971 का बांग्लादेश युद्ध, हरित क्रांति, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिन्होंने भारत की राजनीति और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित किया।

इसके अलावा, राज्यों में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय नेतृत्व किया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक पुरुष-प्रधान वामपंथी दलों के प्रभुत्व को चुनौती दी और आज भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जयललिता (तमिलनाडु) ने अपनी करिश्माई नेतृत्व शैली और लोकप्रिय नीतियों के माध्यम से तमिल राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। मायावती (उत्तर प्रदेश) ने दलित राजनीति को नई दिशा दी और बहुजन समाज पार्टी (BSP) को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसी प्रकार, शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया और लंबे समय तक राजधानी की राजनीति को दिशा दी।

इन उपलब्धियों के बावजूद, जब हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करते हैं, तो तस्वीर संतोषजनक नहीं दिखती। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या अनुपात की तुलना में बहुत कम है। लोकसभा (2019) में 78 महिलाएँ (14.3 प्रतिशत) सदस्य के रूप में चुनी गईं, जो अब तक का सबसे बड़ा आँकड़ा होने के बावजूद पुरुषों के अनुपात में बेहद कम है। इसी प्रकार, राज्य विधानसभाओं में औसतन केवल 9 प्रतिशत महिलाएँ ही सदस्य हैं।

हालाँकि, 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1993) के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद स्थानीय राजनीति में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप आज देशभर में 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं। इसने महिलाओं को राजनीति में प्रवेश का एक नया मार्ग प्रदान किया है और भविष्य में उच्चस्तरीय राजनीति में उनके नेतृत्व के लिए संभावनाओं को बढ़ाया है।

फिर भी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में महिलाओं की संख्या अत्यंत कम है। लोकसभा (2019) में 78 महिलाएँ (14.3 प्रतिशत) और राज्य विधानसभाओं में औसतन 9 प्रतिशत महिलाएँ ही सदस्य हैं। जबकि पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। फिर भी, यह प्रश्न बना हुआ है कि जब पंचायत स्तर पर महिलाओं की संख्या इतनी अधिक है तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व इतना सीमित क्यों है? यह शोध पत्र इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य (Global Perspective)

यदि हम भारत की स्थिति की तुलना अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से करें, तो यह स्पष्ट होता है कि अभी हमें लम्बा सफर तय करना है। अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 26.7 प्रतिशत है। अनेक देशों ने इस मामले में भारत से कहीं आगे की प्रगति की है,

- रवांडा की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व में सबसे अधिक है, जहाँ 61 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ सांसद हैं।
- फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देशों में संसद और मंत्रिमंडल दोनों में महिलाओं की भागीदारी 40–50: तक पहुँच चुकी है।
- बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी महिलाओं को संसद और मंत्रिमंडल में आरक्षण या विशेष अवसर देकर उनकी राजनीतिक भूमिका को बढ़ाया गया है।

भारत की स्थिति की तुलना इन देशों से करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय स्तर पर आरक्षण की सफलता के बावजूद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी असंतोषजनक है। इसका एक कारण है राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देने में हिचकिचाहट, दूसरा कारण है सामाजिक-सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक मानसिकता, और तीसरा कारण है राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए असुरक्षित एवं कठिन वातावरण।

शोध उद्देश्य (Research Objectives)

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. राजनीति में महिला नेतृत्व के सामने आने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों को स्पष्ट करना।
3. महिला नेतृत्व की संभावनाओं और अवसरों का अध्ययन करना।
4. महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए ठोस समाधान एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

उपकल्पना (Hypotheses)

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोधों और आर्थिक निर्भरता के कारण है।
2. यदि महिलाओं को समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता हो, तो वे राजनीति में प्रभावशाली नेतृत्व कर सकती हैं।
3. महिला नेतृत्व शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और सामाजिक न्यायपूर्ण बना सकता है।

शोध समस्या (Research Problem)

भारत में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के बराबर है, फिर भी उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। क्या यह पितृसत्तात्मक संरचना, राजनीतिक दलों की नीतियाँ, या आर्थिक निर्भरता का परिणाम है? यही इस शोध की मूल समस्या है।

शोध का महत्व (Significance of the Study)

- यह शोध महिला नेतृत्व की वास्तविक चुनौतियों और अवसरों को उजागर करेगा।
- यह नीति-निर्माताओं और राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देशक सिद्ध होगा।
- लोकतंत्र में लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करेगा।
- भविष्य के शोध के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराएगा।

शोध अंतराल (Research Gap)

अब तक हुए अधिकांश शोध पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित रहे हैं। उच्च स्तरीय राजनीति (संसद/विधानसभा) में महिलाओं की भूमिका, दलगत राजनीति में उनकी स्थिति, मीडिया की छवि और चुनावी राजनीति की बाधाओं पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन हुए हैं। यह शोध उसी शून्य को भरने का प्रयास है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

- स्रोत – पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, और ऑनलाइन लेख।
- विधि – वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical)।

मुख्य विवेचन (Discussion)

महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ –

1. सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध – पितृसत्तात्मक समाज, घरेलू जिम्मेदारियाँ और परंपरागत सोच।
2. राजनीतिक दलों की भूमिका – अधिकांश दल महिलाओं को टिकट देने से हिचकिचाते हैं।
3. आर्थिक बाधाएँ – चुनाव में धनबल की आवश्यकता, जो महिलाओं के पास कम होती है।
4. हिंसा और अपराधीकरण – चुनावी राजनीति का हिंसात्मक माहौल महिलाओं को हतोत्साहित करता है।
5. मीडिया का पूर्वाग्रह – महिला नेताओं को पारिवारिक पहचान या भावनात्मक गुणों तक सीमित किया जाता है।

आँकड़े (Statistics)

- लोकसभा (2019) – 78 महिला सांसद (14.3 प्रतिशत)।
- राज्य विधानसभाएँ – औसतन 9 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि।
- पंचायत स्तर – 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि, 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण।
- विश्व बैंक (2022) – भारत का स्थान 148वाँ (193 देशों में) महिलाओं की संसदीय भागीदारी में।

विद्वानों के विचार (Scholarly Opinions)

- राजनीति विज्ञान की विद्वान लीला दुबे का मानना है कि "महिलाओं का राजनीति में कम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की अपूर्णता को दर्शाता है।"
- मार्था नुसबॉम ने अपनी पुस्तक "Women and Human Development" (2000) में कहा है कि "जब तक महिलाएँ सत्ता के निर्णयकारी स्तर पर शामिल नहीं होंगी, तब तक समानता केवल एक नारा बनी रहेगी।"
- अमर्त्य सेन का मत है कि "महिला भागीदारी केवल लैंगिक समानता ही नहीं, बल्कि विकास और न्याय का भी प्रश्न है।"

महिला नेतृत्व की संभावनाएँ

- आरक्षण विधेयक (33 प्रतिशत) – संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
- शिक्षा और जागरूकता – महिलाओं की बढ़ती साक्षरता और सामाजिक सक्रियता।
- सफल आदर्श – ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण जैसी महिलाएँ प्रेरणादायक उदाहरण।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म – सोशल मीडिया महिलाओं की आवाज़ को बल प्रदान कर रहा है।

महिला नेतृत्व के सीमित प्रतिनिधित्व का कारण - एक विश्लेषण

भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वे सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकती हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर उनकी उपस्थिति नगण्य बनी हुई है। इसका उत्तर विभिन्न आयामों में तलाशा जा सकता है –

1. संरचनात्मक बाधाएँ (Structural Barriers)

- राजनीतिक दलों की टिकट नीति

अधिकांश दल महिलाओं को चुनावी टिकट देने से कतराते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने औसतन केवल 12-15 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए। विद्वान नीरजा गोपाल जयाल (2011) कहती हैं कि "भारतीय राजनीति की असली चुनौती दलों की पितृसत्तात्मक संरचना है, जो महिलाओं को नेतृत्व के अवसर नहीं देती।"

- वित्तीय संसाधनों की कमी

चुनाव लड़ने के लिए भारी आर्थिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जो अक्सर महिलाओं के पास नहीं होती क्योंकि परिवार और समाज में आर्थिक संसाधनों पर पुरुषों का नियंत्रण अधिक होता है। NITI Aayog Gender Report (2022) के अनुसार, 70% महिला प्रत्याशियों ने स्वीकार किया कि चुनावी खर्च जुटाना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी।

- राजनीति का आपराधिकरण

चुनावी राजनीति में अपराध और धनबल की भूमिका बढ़ने से महिलाएँ अपेक्षाकृत पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि उनके लिए इस प्रकार का तंत्र अपनाना कठिन होता है।

2. सामाजिक-सांस्कृतिक कारण (Socio and Cultural Causes)

- पितृसत्तात्मक मानसिकता –

भारतीय समाज में अब भी राजनीति को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है। परिवार और समाज महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि “सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग समान रूप से भाग लें।”

- सुरक्षा की कमी

राजनीतिक कार्य में देर रात मीटिंग, यात्रा और जनसभाओं की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों ही बाधाएँ पैदा करते हैं।

- दोहरी भूमिका का दबाव

महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारियों और राजनीतिक कार्यों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस करती हैं।

3. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी (Lack of Political Will)

- महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) 1996 से लम्बित है। यदि इसे लागू किया जाता है तो संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- UNDP Human Development Report (2020) में कहा गया है कि “भारत में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में प्रगति कर रही हैं, परंतु राजनीति में उनकी भागीदारी नीति-निर्माण स्तर पर नगण्य है।”
- राजनीतिक दल घोषणापत्रों में महिलाओं की भागीदारी की बात तो करते हैं, परंतु व्यवहार में ठोस कदम नहीं उठाते।

4. सकारात्मक संभावनाएँ (Positive Potentials)

इन बाधाओं के बावजूद, कई ऐसे प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि महिला नेतृत्व भारतीय राजनीति को नई दिशा दे सकता है –

स्थानीय निकायों में सफलता –

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1993) के तहत 33: आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं ने पंचायतों में प्रभावी नेतृत्व किया है। एस्तेर डुफ्लो (MIT, Nobel Laureate, 2019) के शोध में सिद्ध हुआ है कि महिला सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर पुरुषों से अधिक ध्यान देती हैं।
- अध्ययनों से पता चला है कि महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती हैं।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व के उदाहरण –

- इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती और शीला दीक्षित जैसे नेताओं ने सिद्ध किया कि महिलाएँ बड़े पैमाने पर प्रभावी नेतृत्व दे सकती हैं।

वैश्विक अनुभव

- Inter&Parliamentary Union (IPU) Report, 2023 के अनुसार, जिन देशों में संसद में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ लोकतंत्र और सामाजिक विकास दोनों मजबूत हैं (जैसे, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड)।
- वैश्विक परिदृश्य से भी स्पष्ट है कि जिन देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक है, वहाँ लोकतंत्र की गुणवत्ता और सामाजिक विकास का स्तर अधिक है।

5. समाधान की दिशा (Way Forward)

- महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू कर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- राजनीतिक दलों को आंतरिक रूप से यह संकल्प लेना होगा कि वे कम से कम 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देंगे।
- महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
- समाज में लैंगिक समानता की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि राजनीति को केवल पुरुषों का क्षेत्र मानने की मानसिकता समाप्त हो।
- महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
- चुनावी वित्तीय सहायता और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- शिक्षा और मीडिया के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता की संस्कृति का निर्माण।

भारतीय राजनीति में महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व केवल उनकी क्षमता की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक अवरोधों का सम्मिलित परिणाम है। जब इन अवरोधों को दूर किया जाएगा, तो महिलाएँ न केवल राजनीति में संख्या की दृष्टि से अधिक होंगी, बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से राजनीति को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जनोन्मुख भी बनाएंगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “यदि किसी देश को सही मायनों में स्वतंत्र और विकसित देखना है तो उसकी महिलाएँ समान रूप से राजनीति और समाज में भाग लें।”

समाधान एवं रणनीतियाँ (Solutions and Strategies)

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेप, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। प्रस्तुत शोध के आधार पर निम्नलिखित समाधान एवं रणनीतियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं –

1. संसदीय आरक्षण का क्रियान्वयन

महिला आरक्षण विधेयक (1996) लंबे समय से लंबित है। यदि इसे संसद और विधानसभाओं में लागू कर दिया जाए तो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें सुनिश्चित होंगी। इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (2023) की रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में संसद में 30 प्रतिशत या अधिक महिलाएँ हैं, वहाँ शासन अधिक पारदर्शी और सामाजिक रूप से उत्तरदायी है। भारत में भी यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देगा।

2. राजनीतिक दलों द्वारा 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देना

आरक्षण विधेयक के अलावा, राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से कम से कम 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए। इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि दलों की छवि भी अधिक समावेशी बनेगी। नीरजा गोपाल जयाल (2011) का मत है कि दलों की पितृसत्तात्मक संरचना को बदले बिना महिला प्रतिनिधित्व में वास्तविक वृद्धि संभव नहीं है।

3. महिला नेतृत्व प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग योजनाएँ

राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं को नीतिगत ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (Leadership Training Modules) उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, चुनावी खर्च को वहन करने हेतु सरकार या निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष वित्तीय सहायता योजनाएँ भी लागू होनी चाहिए। NITI Aayog Gender Equality Report (2022) के अनुसार, 65 प्रतिशत महिला प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च को प्रमुख बाधा बताया।

4. सामाजिक जागरूकता अभियान

महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए समाज में लिंग समानता की सोच विकसित करना आवश्यक है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और मीडिया के माध्यम से Gender Sensitization Campaigns चलाए जाने चाहिए ताकि राजनीति को केवल 'पुरुषों का क्षेत्र' मानने वाली मानसिकता समाप्त हो। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि "लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की समानता पर आधारित है।"

5. राजनीति में सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना

महिला नेताओं को राजनीति में प्रायः चरित्र-हनन, ट्रोलिंग, हिंसा और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी तभी संभव होगी जब राजनीतिक संस्थानों, चुनावी रैलियों और ऑनलाइन मंचों पर उनके लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए कड़े कानून और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व केवल संख्या या प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा और सामाजिक न्याय का मूल आधार है। वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, सामाजिक-पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक संसाधनों की कमी, दलों की उदासीनता, और सुरक्षा सम्बंधी समस्याएँ। परंतु समाधान भी स्पष्ट हैं, आरक्षण, दलों की टिकट नीति में सुधार, प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, और सामाजिक मानसिकता में बदलाव।

इतिहास और वर्तमान दोनों से यह प्रमाणित है कि जब भी महिलाओं को अवसर मिला, उन्होंने राजनीति में नई पारदर्शिता, संवेदनशीलता और विकासपरक दृष्टि प्रदान की। इंदिरा गांधी से लेकर ममता बनर्जी, मायावती और जयललिता तक के उदाहरण बताते हैं कि महिला नेतृत्व न केवल सशक्त प्रशासन दे सकता है बल्कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता भी देता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि भारत अपने लोकतंत्र को अधिक सशक्त, न्यायपूर्ण और जनोन्मुख बनाना चाहता है, तो महिला नेतृत्व को अवसर और संसाधन दोनों उपलब्ध कराना ही होगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राजनीति को केवल 'शक्ति का खेल' नहीं रहने देगी, बल्कि इसे 'सेवा और जनकल्याण का माध्यम' बनाएगी।

संदर्भ सूची (References)

- [1]. भारत का संविधान (73वाँ एवं 74वाँ संशोधन, 1993), भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
- [2]. **Election Commission of India (2019, 2024).** *Statistical Reports on General Elections to Lok Sabha and State Assemblies.* नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
- [3]. **National Commission for Women (2022).** *Annual Report 2021–22.* नई दिल्ली : एन.सी.डब्ल्यू. प्रकाशन प्रभाग।
- [4]. Nussbaum, Martha C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach.* Cambridge: Cambridge University Press, p. 78.
- [5]. Forbes, Geraldine (1996). *Women in Modern India.* The New Cambridge History of India, Vol. IV.2. Cambridge: Cambridge University Press, p. 165.
- [6]. Sen, Amartya (2005). *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity.* London: Penguin Books, p. 188.
- [7]. Chhibber, Pradeep & Verma, Rahul (2018). *Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India.* Oxford University Press, p.242.
- [8]. Rai, Praveen Kumar (2021). *Gender and Political Representation in India: Current Trends and Future Prospects.* Indian Journal of Political Science, Vol. 82(3), p. 430.
- [9]. Singh, Yogendra (2005). *Modernization of Indian Tradition: A Systemic Study of Social Change.* Jaipur: Rawat Publications, p. 120.
- [10]. Mohanty, Manoranjan (1995). *Class, Caste, Gender.* Sage Publications, New Delhi, p. 229.
- [11]. Sharma, K. L. (2019). *Indian Social Structure and Change.* Jaipur: Rawat Publications, p. 198.
- [12]. **The Hindu (2022–2024).** महिला आरक्षण विधेयक, पंचायत चुनावों और महिला नेतृत्व पर प्रकाशित संपादकीय व रिपोर्ट्स। उदाहरण : “Women’s Reservation Bill and Indian Democracy,” The Hindu, 22 September 2023, p. 10.
- [13]. **Indian Express (2023–2024).** राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और चुनावी प्रक्रिया पर प्रकाशित समाचार व विश्लेषण। उदाहरण : “Why Women’s Representation Matters in Parliament,” Indian Express, 24 September 2023, p. 6.

- [14]. **BBC Hindi (2023–2024)** महिला आरक्षण और राजनीति पर ऑनलाइन लेख। उदाहरणरू “*Mahilaon ke liye Sansad me 33 pratishat Aarakshan,*” BBC Hindi, 21 September 2023 (ऑनलाइन स्रोत)।
- [15]. **Economic and Political Weekly (EPW) (2022).** “*Women in Indian Politics: Representation and Challenges,*” Vol. 57(36), p. 29.

Cite this Article

डॉ. बृजेश स्वल्प सोनकर, भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व: चुनौतियाँ, संभावनाएँ और समाधान, *International Journal of Scientific Research in Modern Science and Technology*, ISSN: 2584-0231, Volume 3, Issue 8, pp.245-254, August 2025.

Journal URL: <https://ijmrast.com/>

DOI: <https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i8.165>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).